उत्तराखण्ड शासन

जय हिन्द!

80वें स्वतन्त्रता दिवस

15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएँ

"समस्त देशवासियों को स्वतन्त्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं स्वतन्त्रता संग्राम के नायकों व देश की सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों को नमन करता हूँ। आईये, इस स्वतन्त्रता दिवस पर हम सभी मिलकर उत्तराखण्ड राज्य तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध हों।"

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

"हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए सिरे से परिभाषित करता है। स्वतन्त्रता दिवस के इस अवसर पर हमें नये संकल्पों को आधार बनाना है, नए संकल्पों को लेकर चल पड़ना है। आइए, एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लें, जो विकसित भी हो, आत्मनिर्भर भी हो और अपनी विरासत पर गर्व भी करे।"

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

सेवा - सुशासन - समर्पण

- राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून हुआ लागू, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता कायम होने से अब युवाओं का चयन एक से अधिक विभागों में हो रहा है।
- बीते 5 वर्षों में 34000 से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी।
- राज्य के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित, जिसमें वर्तमान में 5 कॉलेज संचालित हैं एवं 2 अन्य कॉलेजों का निर्माण कार्य जारी है।
- राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की कुल संख्या वर्ष 2024-25 में बढ़कर 79394 हो गई है। जो वर्ष 2021-22 में 59798 थी।
- एमएसएमई के अंतर्गत रोजगार पाने वालों की संख्या वर्ष 2025 में बढ़कर 456605 हो गई है। जो 2022 में 343922 थी।
- राज्य में स्टार्टअप की संख्या 2024-25 में बढ़कर 1750 हो गई है। जो 2017 तक शून्य थी, और वर्ष 2021-22 में 702 थी।
- राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना। इस योजना का बजट बढ़ाकर ₹ 75 लाख से ₹ 3.3 करोड़ किया गया। 147 बच्चों को अब तक विदेशी भाषा का दिया गया प्रशिक्षण एवं 92 बच्चों को विभिन्न देशों में रोजगार मिला है।
- पी.एम.श्री योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य के 141 विद्यालयों, द्वितीय चरण में 84 विद्यालयों को चयनित किया गया।
- देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 लागू करने वाला राज्य बना उत्तराखण्ड।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की हुई शुरुआत।
- राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु लैब ऑन व्हील कार्यक्रम का हो रहा संचालन। सभी जिलों में खोले जा रहे विज्ञान केंद्र।
- प्रतियोगी परीक्षाओं तथा विभिन्न प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु तथा योग्यता निर्धारण के लिए होने वाली परीक्षाओं (केट, मेट, गेट आदि) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए निःशुल्क ऑन लाईन कोचिंग हेतु मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के संचालन को मिली मंजूरी।
- राज्य में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का हुआ आयोजन। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर बनाया नया रिकॉर्ड।
- हल्द्वानी में राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की हो रही स्थापना।
- स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गौलापार एवं महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के संचालन के लिए विभिन्न पद कैबिनेट ने किए स्वीकृत।
- नई खेल नीति के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का ऐतिहासिक फैसला।
- मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना तथा खेल किट योजना जैसी विभिन्न योजनाएं हो रही संचालित।

विकास भी, विरासत भी

- राज्य के खिलाड़ियों का दैनिक भोजन भत्ता 250 रुपए से बढ़ाकर भारतीय खेल प्राधिकरण की भांति 480 रुपए प्रतिदिन, प्रति खिलाड़ी किया गया।
- उत्तराखण्ड फिल्म नीति के तहत FTII से पासआउट युवाओं को मिली छात्रवृत्ति। पाठ्यक्रम पर हुए व्यय के अनुसार एसटी, एससी, ओबीसी को 75 प्रतिशत एवं सामान्य अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही।
- मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के प्रदेश में करीब 3900 उभरते खिलाड़ियों को दी जा रही 1500 रुपये प्रतिमाह की खेल छात्रवृत्ति।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं (जैसे ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल आदि) में पदक जीतने वाले या भाग लेने वाले खिलाड़ियों को राजकीय सेवाओं में 4 प्रतिशत खेल कोटे का मिलेगा लाभ।
- भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064 किया लांच। 1905 सी.एम. हेल्पलाइन नंबर से जनता को मिल रही सहूलियत।
- नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक-2026 में उत्तराखण्ड को पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त।
- स्वतंत्र भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश में प्रथम राज्य बना उत्तराखण्ड।
- राज्य में सशक्त भू-कानून, सख्त धर्मान्तरण विरोधी कानून एवं दंगारोधी कानून हुआ लागू।
- राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत एवं राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण हुआ लागू।
- राज्य में उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का हुआ गठन, इसके अंतर्गत मदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद प्राधिकरण तय करेगा पाठ्यक्रम। यह प्राधिकरण अल्प-संख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करेगा।
- शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर किया 50 लाख रुपए।
- परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर की गई 2 करोड़।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी
www.uttarainformation.gov.in | DIPR_UK | UttarakhandDIPR | UttarakhandDIPR